न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 131/2016

बलवन्तराम पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —— अपीलांट

बनाम

बलराम पुत्र किशनलाल जाति सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

———रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त.अधि 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 24.06.2016

उपस्थितिः—

श्री काशीराम रणवा , अभिभाषक अपीलांट

श्री रामसिंह ढाका , अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक :— 24.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अन्य भूमि के साथ—साथ चक 2 पी बड़ी के मु.न. 47 के कि.न. 6 की 0.228 है0, कि.न. 7/1 की 0.202 है. व मु.न. 48 के कि.न. 8/1 की 0.126 है0 कि.न. 13 की 0.228 है0 व कि.न. 14 की 0.012 है0 कुल 0.796 है अर्थात 3.03 बीघा भूमि का खतेदार है । अप्रार्थी उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबित है एवं अप्रार्थी को तथाकथित इकरारनामा के आधार पर किसी भी सक्षम न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी होने से विवादित भूमि का लाभ उठाने का कोई अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि विवादित भूमि पर को रिसवीर नियुक्त किया जावें ।

अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी ने जरिये इकरारनामा क्रय की है एवं बतौर अतिक्रमी काबित नहीं है

24/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है एवं जबतक माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता तबतक विवादित भूमि से रेस्पो. को बेदखल नहीं किया जा सकता एवं न ही रिसवीर नियुक्त किया जा सकता । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनंक 24.06.2016 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदार है जिस पर रेस्पो. को बतौर अतिक्रमी कब्जा चला आ रहा है रेस्पो. को सिविल न्यायालय में जो वाद पेश किया था वह भी खारिज हो चुका है जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में पेश होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रेस्पो. के पक्ष में स्थगन भी जारी नहीं किया । प्रार्थी/अपीलांट ने अधी.न्यायालय में वाद एवं रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलांट के हितों की रक्षा हेतु अधी.न्यायालय को विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना चाहिए था । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2008 आरआरडी 212 की नजीर पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. द्वारा जरिये इकरारनामा भूमि क्रय की थी एवं उसकी रूह से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में अपील जैरकार है ऐसी स्थिति में जबतक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है विवादित भूमि पर रेस्पो. को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता और रिसीवर जैसे कठारेतम उपाय से बेदखल नहीं किया जा सकता । अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील खारिज की जावें ।

24/4/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का अपीलांट खातेदार काश्तकार है एवं रेस्पो. विवादित भूमि को जरिये इकरारनामा क्रय करना बता रहा है एवं इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद दिनांक 28.08.2012 को खारिज हो चुका है जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें स्थगन खारिज हुआ है जिस बाबत किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/रेस्पो. का कब्जा बहैसियत अतिक्रमी है तदानुसार अपीलांट/प्रार्थी जो कि विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है, के द्वारा रिसीवरी का अनुतोष जो एक कठोरतम उपाय होने के बावजूद अनुतोष के रूप में चाहना उसकी मजबूरी है। अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखे बिना ही प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जबकि खातेदार काश्तकारों के हितों की रक्षा के लिए विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना चाहिए था जो नहीं करने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 निरस्त किया जा जाता हैं एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर को अधी.न्यायालय में वाद के निर्णय रिसीवर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वे चक 2 पी बड़ी के मु.न. 47 के कि.न. 6 की 0.228 है0, कि.न. 7/1 की 0.202 है. व मु.न. 48 के कि.न. 8/1 की 0.126 है0 कि.न. 13 की 0.228 है0 व कि.न. 14 की 0.012 है0 कुल 0.796 है अर्थात 3.03 बीघा भूमि का बतौर रिसीवर कब्जा लेकर काश्त आदि की नियमानुसार व्यवस्था करे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर